

न्यायालय:-जिला न्यायाधीश पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(समक्ष:-आमोद आर्य)

Case.No. EP/1/2022
Filing No. EP/248/2022
CNR No.MP2809-001004-2022
Filing Date : 13/10/2022
Reg. Date : 15/10/2022

तरुण पिता किसना बालपांडे, आयु करीब 38 वर्ष,
निवासी-वार्ड क्रमांक 20 पांडुर्णा,
तहसील पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश).....याचिकाकर्ता

वि रु द्ध

1. प्रदीप जुननकर पिता ओंकार जुननकर, आयु करीब 55 वर्ष,
निवासी-भवानी वार्ड क्रमांक 20 पांडुर्णा,
तहसील पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)
2. रामचंद्र रेवतकर पिता करन्या रेवतकर, आयु करीब 50 वर्ष,
निवासी-भवानी वार्ड पांडुर्णा,
तहसील पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)
3. रिटर्निंग ऑफीसर नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2022
(अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पांडुर्णा)
तहसील पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)
4. श्री स्वत्व शिल भकने-पीठासीन अधिकारी वार्ड क्रमांक 20,
बूथ क्रमांक 35 पांडुर्णा नगर पालिका द्वारा निर्वाचन अधिकारी क्रमांक
03, तहसील पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)
5. सुधाकर पिता भाउराव अमजिरे, आयु करीब 32 वर्ष,
निवासी-भवानी वार्ड पांडुर्णा,
तहसील पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश).....उत्तरवादीगण

22.07.2025

आवेदक/याचिकाकर्ता अनुपस्थित।

अना0क0-01 द्वारा श्री तुलसी अमृत काटवले अधिवक्ता उपस्थित।

अना0क0-02 पूर्व से एकपक्षीय।

अना0क0-03 लगायत 05 अनुपस्थित।

प्रकरण आवेदक/याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

आवेदक/याचिकाकर्ता की बार-बार पुकार लगवाई गई, बाद पुकार आवेदक/याचिकाकर्ता एवं उसकी ओर से अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

प्रकरण चायकाल पश्चात पुनः पेश हो।

सही/—

(आमोद आर्य)

जिला न्यायाधीश, पांडुर्णा,
जिला छिन्दवाड़ा, म0प्र0,

पुनश्च:

04:45 बजे।

आवेदक/याचिकाकर्ता अनुपस्थित।

अना0क0-01 द्वारा श्री तुलसी अमृत काटवले अधिवक्ता उपस्थित।

अना0क0-02 पूर्व से एकपक्षीय।

अना0क0-03 लगायत 05 अनुपस्थित।

आवेदक/याचिकाकर्ता की पुनः बार-बार पुकार लगवाई गई, बाद पुकार आवेदक/याचिकाकर्ता एवं उसकी ओर से अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में आवेदक/याचिकाकर्ता एवं उसकी ओर से अधिकृत अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक/याचिकाकर्ता को अपनी याचिका को चलाने में कोई रुचि नहीं है और वह याचिका को चलाना नहीं चाहता है। अतः आवेदक/याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में याचिका निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज किया जावे।

प्रकरण नियत समय अवधि में अभिलेखागार छिंदवाड़ा में जमा किया जावे।

सही/—

(आमोद आर्य)

जिला न्यायाधीश, पांडुर्णा,
जिला छिन्दवाड़ा, म0प्र0,